

राज्यपाल सचिवालय  
लोक भवन, जयपुर

प्रेषक :

प्रेषित :

सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान,  
जयपुर।

कुलगुरु,  
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,  
राजस्थान

क्रमांक: एफ.1(2)आर.बी./2021पार्ट-2/1494

दिनांक: 18 मार्च, 2026

विषय :- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र क्रमांक ई-1587/जी.एस दिनांक 11.03.2026 बाबत "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में" की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप सचिव  
राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-226027

संख्या : ई-1587/जी0एस0  
दिनांक : मार्च 11, 2026

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के  
विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, भा.प्र.से.(से.नि.),  
(अपर मुख्य सचिव स्तर), उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,  
समस्त राज्य,  
भारत।

महोदय,

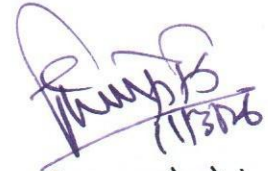
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-1578/2026, दिनांक मार्च 11, 2026 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।



( डॉ. सुधीर एम. बोबडे )  
विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, भा.प्र.से.(से.नि.),  
(अपर मुख्य सचिव स्तर), उ0प्र0।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु  
आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-1578/2026

दिनांक : मार्च 11, 2026

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा-12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 06 अप्रैल, 2026 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।



विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल,  
भा.प्र.से.(से.नि.),  
(अपर मुख्य सचिव स्तर),  
उत्तर प्रदेश।



**JAN BHAVAN, LUCKNOW.**

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF  
VICE CHANCELLOR FOR SAMPURNANAND SANSKRIT  
VISHVAVIDYALAYA, VARANASI (U.P.)**

Advt. No. E-1578 /2026

Dated : March 11, 2026

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "[www.upgovernor.gov.in](http://www.upgovernor.gov.in)" on or before **06 April, 2026**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.



**OSD to Governor,  
IAS(Retd.)  
(Additional Chief Secretary Level),  
Uttar Pradesh.**